न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 120/2013

1 मृतक नागर पुत्र स्व. सुरजा जाति माली निवासी ढाणी कालबेलिया वाली, तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू। (फौत दिनांक 23.02.2018)
1/1 रूकमा देवी पत्नी स्व नागर उर्फ नागरमल उम्र 68 साल
1/2 नागरमल पुत्र स्व. नागर उर्फ नागरमल उम्र 48 साल
1/3 चौथमल पुत्र स्व. नागर उर्फ नागरमल उम्र 45 साल
1/4 बाबुलाल पुत्र स्व. नागर उर्फ नागरमल उम्र 42 साल
1/5 गोरधन पुत्र स्व. नागर उर्फ नागरमल उम्र 39 साल
1/6 रामनिवास पुत्र स्व. नागर उर्फ नागरमल उम्र 36 साल
1/7 सुरेश पुत्र स्व. नागर उर्फ नागरमल उम्र 34 साल
1/8 विमला देवी पुत्री स्व. नागर उर्फ नागरमल उम्र 26 साल
1/9 सुमन देवी पुत्री स्व. नागर उर्फ नागरमल उम्र 24 साल
समस्त जाति माली निवासी ढाणी कालबेलिया वाली, तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 मु. सोनी उम्र 57 साल पुत्री स्व. सूरजा बेवा सांवरमल जाति माली निवासी कानाका वाली ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3 मृतक मु. गिन्नी पुत्री स्व. सुरजा पत्नी स्व. रामदेव जाति माली निवासी माताजी की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू। (फौत – 09.12.2021)
3/1 केशर देव उम्र 49 साल पुत्र गिन्नी देवी पिता रामदेव, जाति माली निवासी माताजी की ढाणी, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3/2 मु. जमना आयु 68 साल पुत्री गिन्नी देवी पिता रामदेव जाति माली निवासी बिरोल के पास, महादास की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3/3 मु. सुवा उम्र 61 साल पुत्र गिन्नी देवी पिता रामदेव पत्नी दानाराम जाति माली निवासी नया अस्पताल के पास , कस्बा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3/4 चुकिया देवी उम्र 56 साल पुत्र गिन्नी देवी पिता रामदेव पत्नी कुरडाराम जाति माली निवासी ढुढियां की ढाणी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3/5 मु. मेणा उर्फ सीमा देवी उम्र 53 साल पुत्री गिन्नी देवी पिता रामदेव, जाति माली निवासी नवोडी कोठी बागोरिया की ढाणी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
4 मु बनारसी देवी उर्फ गटवा आयु 77 साल पुत्री स्व. सुरजा पत्नी नागरमल जाति निवासी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती प्रेमलता आयु 82 साल पत्नी अर्जुनलाल सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 12 तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 नाथाराम उम्र 72 साल पुत्र स्व. सुरजा जाति माली निवासी ढाणी कालबेलिया वाल, तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3 मोती उर्फ रामस्वरूप आयु 57 साल पुत्र स्व. श्योनाथ
4 प्रभु आयु 52 साल पुत्र स्व. श्योनाथ
समस्त जाति माली निवासी रामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
5 श्रीमती रूकमा देवी आयु 59 साल पत्नी नागरमल जाति माली निवासी ढाणी कालबेलिया वाली, तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
6 उप पंजीयक महोदय कार्यालय नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नवलगढ़
8 मंजू पुत्री स्व. नागर उर्फ नागरमल उम्र 22 साल जाति माली निवासी ढाणी कालबेलिया वाली, तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9 कविता पुत्री स्व. नागर उर्फ नागरमल उम्र 20 साल जाति जाति माली निवासी ढाणी कालबेलिया वाली, तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.09.2013 व डिक्री दिनांक 21.10.2013 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी वाद नागर बनाम प्रेमलता आदि दावा बाबत इस्तकार हक, घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा, दुरूस्ती रिकार्ड व प्रथावहीन करवाने विक्रय पत्र मु. नं. 42/2012

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमित महर्षि, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 2.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 42/2012 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2013 व डिक्री दिनांक 21.10.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा इस आशय का किया था कि कस्बा नवलगढ़ में भूमि खसरा नम्बर 539 ता. 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 559 ता. 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540 ता. 2.15 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल ता. 2.40 हैक्टेयर स्थित है यह भूमि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 आपस में भाई–बहिन व एक ही पूर्वज के उत्तराधिकारी है रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 स्व. किस्तुरी पुत्री सुरजा के पुत्र अपीलान्टस के भानजे है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 5 कालबेलिया की ढाणी तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ के निवासी है। उक्त भूमि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की पैतृक भूमि है जो सुरजाराम से उतराधिकार में प्राप्त हुई है। सुरजाराम के दो पुत्र अपीलान्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 4 पुत्रियां है जिन्हें सुरजाराम के देहान्त पर बराबर–बराबर हिस्सा प्राप्त हुआ है और इसी प्रकार से सह–खातेदारी में काश्त करती है, अपना हिस्सा लेती है। सुरजाराम के कब्जे–काश्त की भूमि खसरा नम्बर 539, 559 व 540 कुल ता. 2.40 हैक्टेयर में से उनके देहान्त के बाद उनके हिस्से की भूमि में से प्रत्येक पुत्र–पुत्रियों को 1/6–1/6 हिस्सा विरासतन मिला। इस प्रकार से मौके पर शामलाती रूप से कब्जा व काश्त है व खातेदारी है। अपीलान्टस 2 लगायत 4 का पिता व रेस्पोडेन्ट 3 व 4 का नाना फौत हुआ तब सुरजाराम की खातेदारी का इंतकाल सुरजाराम के दोनों पुत्र अपीलांट संख्या 1 और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से विधि–विरूद्ध तरीके से दर्ज हो गया जबकि उनके सभी छहों उतराधिकारियों का नाम दर्ज होना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

चाहिए था, गलत इंतकाल के आधार पर रिकार्ड बनता गया जिसका विधि में कोई महत्व नहीं है। इंतकाल में न तो उतराधिकारी तय होते है और न ही टाईटल प्राप्त होता है। इस प्रकार विधि–विरूद्ध इंतकाल व उसके आधार पर बना राजस्व रिकार्ड गलत प्रभावहीन व अपीलान्टस के अधिकारों पर बेअसर है और अपीलान्टस विधि अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष अपना वाद पेश किया था और सुरजाराम के वारिसान होने से उसके पुत्रों व पुत्रियों का बराबर–बराबर हिस्सा घोषित करवाने का वाद पेश किया था और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 31.03.2005 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने विधि–विरूद्ध तरीके से अपने हिस्से से ज्यादा हिस्सा बताकर बिना विभाजन भूमि का करवाये वाद के दौरान विक्रय पत्र तस्दीक करवाया जिसे एबीनिशियों वाईड करार दिया जाकर अपीलान्टस के हक अधिकार हिस्से व कब्जे व खातेदारी पर बेअसर घोषित किये जाने की रिलीफ चाही। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस द्वारा पेश किये गये दावे को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के आवेदन पत्र पर कि दावा में दिनांक 31.03.2005 के विक्रय पत्र को प्रभावहीन कराने हेतु विचारण न्यायालय में रिलीफ चाही है। इसलिए विक्रय पत्र के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व कोर्ट को न होकर सिविल कोर्ट को है जिस पर विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादीगण/अपीलान्टस का दावा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस से अपना दावा अपने हक से ज्यादा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी भूमि बताकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है। इसलिए अपीलान्टस को अपना हक घोषित करवाने का अधिकार राजस्व कोर्ट को है। स्व. सुरजाराम की पुत्रियों का नाम सुरजाराम की उतराधिकारणी होने के बाद भी जरिये नामातंकरण विवादित खसरा नम्बर की भूमि इनके नाम से राजस्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

रिकार्ड में अंकित नहीं हुई तो इन्हें विवादित कृषि भूमि का खातेदार घोषित करवाने व राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करवाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राजस्व कोर्ट के क्षेत्राधिकार में खातेदारी अधिकारों की घोषणा में खातेदारी अधिकारों की पुष्टि के साथ–साथ उनके हक की भूमि जो रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ने बिना अधिकार के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये रजि. विक्रय पत्र के विक्रय कर दी है। इसलिए अपीलान्टस के हको तक विवादित विक्रय पत्र एबीनिशियों वाईड है ऐसी स्थिति में अपीलान्टस अपने अधिकारों तक के हिस्से की भूमि के बाबत सिविल कोर्ट में जाकर विक्रय पत्र को निरस्त करवाने के बजाय राजस्व कोर्ट को हो अंतिम रूप से विक्रय पत्र को इनके हक तक निरस्त करने का अधिकार है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आवेदन पत्र को स्वीकार करते वक्त किसी प्रकार की फाईण्डिग नहीं दी कि, किन आधारों पर किस प्रकार से रेस्पोडेन्ट 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर स्वीकार होने योग्य है। अपीलान्टस की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय 27.09.2013 व डिक्री दिनांक 21.10.2013 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2023 (1) राज. पेज 740, आरएलडब्ल्यू 2012 (4) राज. पेज 3050, डीएनजे 2023 (1) रेव पेज 515, आरएलडब्ल्यू 2019 (3) एससी पेज 2618, डीएनजे 2024(1) रेव पेज 487 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत वाद में वादीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2005 को प्रभावहीन करवाने हेतु माननीय न्यायालय से सहायता चाही है जबकि विक्रय पत्र के संबंध में सुनवाई को क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। प्रस्तुत वाद जिस कृषि भूमि को लेकर प्रस्तुत किया गया है जो पूर्व में भी इसी न्यायालय में विचाराधीन रहकर अंतिम रूप से निर्णित किया जा चुका है और विभाजन की डिक्री पारित की जा चुकी है तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.1997 मुकदमा नम्बर 138/96 आज भी प्रभावी है जिससे वादी नम्बर 1 स्वयं पाबन्द

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है इसलिए वादीगण को यह दावा प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिससे वादीगण का मौजूदा वाद कानूनन किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है और वाद अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी के तहत (बार्ड बाई लॉ) होने से अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज होने योग्य है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में भूमि खसरा नम्बर 539, 540, 559 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1453, 1454, 1473 है उपरोक्त भूमि के संबंध में वादीगण ने अपने वाद पत्र में घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा दुरूस्त कराने रिकार्ड व प्रभावहीन कराने विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2005 की प्रार्थना की है इसी कृषि भूमि को लेकर प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष वाद नाथाराम बनाम नागरमल वगैरह मुकदमा नम्बर 138/1996 चला था, जिसमें वादी नाथाराम तथा प्रतिवादी नागरमल, विष्णु कान्त व तहसीलदार नवलगढ़ थे जिसमें विचारण न्यायालय ने सुनवाई हेतु प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये थे लेकिन प्रतिवादी नागरमल बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नही हुआ, जिस पर माननीय न्यायालय ने नागरमल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करके अन्य पक्षकारों को सुनवाई का मौका देते हुए उपरोक्त वाद को दिनांक 27.02.1997 को वादी नाथाराम के पक्ष में डिक्री कर दिया। निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.97 के विरूद्ध नागरमल ने जो कि वर्तमान दावें में वादी नम्बर 1 है ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी दिनांक 31.07.2000 को प्रस्तुत किया जिसका उनवान नागरमल बनाम नाथाराम वगैरह मुकदमा नम्बर 91/2000 है जिसमें वादी नम्बर 1 नागरमल ने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.1997 को अपास्त कर सुनवाई का अवसर चाहने बाबत प्रार्थना की जिसको विचारण न्यायालय ने उक्त पक्षो को सुनवाई का मौका देते हुए उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2002 के आदेश के द्वारा खारिज कर दिया, उक्त आदेश के विरूद्ध नागरमल जो कि वर्तमान दावें में वादी नम्बर 1 है ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू के यहां अपील प्रस्तुत की जिसका उनवान नागरमल बनाम नाथाराम आदि अपील संख्या 19/2003 है इस अपील में अपीलान्ट नागरमल ने दिनांक 27.08.2004 को एक प्रार्थना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है और समस्त वाद विड्रा कर लिये गये है अतः अब इस अपील को भी विड्रा करना चाहता है जिस पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील खारिज कर दी, इस अपील को विड्रा करने से पूर्व वादी नम्बर 1 नागरमल ने मुकदमा नम्बर 138/96 के प्रतिवादी नम्बर 2 विष्णुकान्त के नाम है दर्ज खातेदारी की भूमि 0.25 हैक्टेयर जिसको विष्णुकान्त ने दिनांक 04.08.95 को वर्तमान दावे के प्रतिवादी नम्बर 2 नाथाराम से जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी उस भूमि को नागरमल ने अपनी पत्नी प्रतिवादी नम्बर 5 रूकमा देवी के नाम दिनांक 29.01.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर ली जिसको वादीगण अपने वाद पत्र की मद संख्या 4 में स्वीकार करते है और प्रतिवादी नम्बर 2 नाथाराम के साथ राजीनामा कर लिया। और पक्षकारों के मध्य विवाद नहीं रहा जिससे प्रतिवादी नम्बर 2 नाथाराम अपने हिस्से की भूमि को किसी भी व्यक्ति को विक्रय करने में सक्षम था जिस पर प्रतिवादी नम्बर 2 नाथाराम ने अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 540 की शेष भूमि रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि दिनांक 31.03.2005 को प्रतिवादी नम्बर 1 श्रीमती प्रेमलता को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी और मौके पर विधिवत रूप से कब्जा सौप दिया। वादीगण ने इसी भूमि के बाबत एक दूसरा दावा दिनांक 29.10.1999 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो कि उनवानी नागरमल बनाम नाथाराम वगैरह, मुकदमा नम्बर 239/99 है उपरोक्त वाद को वादी ने दिनांक 29.01.2004 को रूकमा देवी प्रतिवादी नम्बर 5 के पक्ष में विक्रय पत्र तस्दीक किये जाने के पश्चात दिनांक 11.02.2004 को दावा विड्रा कर लिया जिसमें वादीगण की पूर्णरूप से सहमति थी उपरोक्त दावा विड्रा करने के पश्चात वादीगण ने पुनः एक और अन्य वाद दिनांक 07.05.2004 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो उनवानी नागरमल बनाम नाथाराम मुकदमा नम्बर 35/2004 है लेकिन दौराने दावा ही वादीगण व प्रतिवादीगण नाथाराम में आपस में राजीनामा हो गया और वादीगण ने दावा विड्रा कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लिया जो कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू के आदेश दिनांक 27.08.2004 से स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। वादी नम्बर 2 लगायत 4 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 द्वारा नामान्तकरण संख्या 390 दिनांक 13.11.1995 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय जिला कलेक्टेर झुन्झुनू के यहां प्रस्तुत की जो कि उनवानी सोनी देवी वगैरह बनाम नागरमल वगैरह मु.नं. 19/2000 है जिसको न्यायालय अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने दिनांक 20.09.2000 को खारिज कर दी, जिसकी अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 24.04.2001 को अदम हाजरी में खारिज हो गयी, जिसका रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी दिनांक 16.07.2002 को खारिज हो गया, जिससे वादीगण नम्बर 2 लगायत 4 को उपरोक्त भूमि के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा–पूरा अवसर मिला और उन्होंने अंत में प्रतिवादी नाथाराम के साथ राजीनामा कर लिया। वादीगण नम्बर 2 लगायत 4 ने वाद में निर्णय व डिक्री के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जिसमें वे स्वयं पाबन्द है इसलिए दूबारा विभाजन का दावा चलने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2023 पटना पेज 177, सीसीसी केरला 2023 (4) पेज 302 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2005 को प्रभावहीन करवाने हेतु विचारण न्यायालय से सहायता चाही है जबकि विक्रय पत्र के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। प्रस्तुत वाद जिस कृषि भूमि को लेकर प्रस्तुत किया गया है वो पूर्व में भी विचारण न्यायालय में विचाराधीन रहकर अंतिम रूप से निर्णित किया जा चुका है और विभाजन की डिक्री पारित की जा चुकी है तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.1997 मुकदमा नम्बर 138/96 आज भी प्रभावी है जिससे वादी नम्बर 1/अपीलान्ट स्वयं पाबन्द है इसलिए वादीगण को यह दावा प्रस्तुत करने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिससे वादीगण का मौजूदा वाद कानूनन किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है और वाद अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी के तहत (बार्ड बाई लॉ) होने से अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज होने योग्य है।

यहां यह भी विचारणीय है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में भूमि खसरा नम्बर 539, 540, 559 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1453, 1454, 1473 के संबंध में वादीगण ने घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा दुरूस्त कराने रिकार्ड व प्रभावहीन कराने विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2005 की प्रार्थना की है इसी कृषि भूमि को लेकर प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष वाद नाथाराम बनाम नागरमल वगैरह मुकदमा नम्बर 138/1996 चला था, जिसमें वादी नाथाराम तथा प्रतिवादी नागरमल, विष्णु कान्त व तहसीलदार नवलगढ़ थे जिसमें विचारण न्यायालय ने सुनवाई हेतु प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये थे लेकिन प्रतिवादी नागरमल बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नही हुआ, जिस पर विचारण न्यायालय ने नागरमल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करके अन्य पक्षकारों को सुनवाई का मौका देते हुए उपरोक्त वाद को दिनांक 27.02.1997 को वादी नाथाराम के पक्ष में डिक्री कर दिया। निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.97 के विरूद्ध नागरमल ने जो कि वर्तमान दावें में वादी नम्बर 1/अपीलांट है ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी दिनांक 31.07.2000 को प्रस्तुत किया जिसका उनवान नागरमल बनाम नाथाराम वगैरह मुकदमा नम्बर 91/2000 है जिसमें वादी नम्बर 1 नागरमल ने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.1997 को अपास्त कर सुनवाई का अवसर चाहने बाबत प्रार्थना की जिसको विचारण न्यायालय ने उक्त पक्षो को सुनवाई का मौका देते हुए उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2002 के आदेश के द्वारा खारिज कर दिया, उक्त आदेश के विरूद्ध नागरमल जो कि वर्तमान दावें में वादी नम्बर 1 है ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसका उनवान नागरमल बनाम नाथाराम आदि अपील संख्या 19/2003 है इस अपील में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलान्ट नागरमल ने दिनांक 27.08.2004 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है और समस्त वाद विड्रा कर लिये गये है अतः अब इस अपील को भी विड्रा करना चाहता है जिस पर इस न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील खारिज कर दी, इस अपील को विड्रा करने से पूर्व वादी नम्बर 1 नागरमल ने मुकदमा नम्बर 138/96 के प्रतिवादी नम्बर 2 विष्णुकान्त के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि 0.25 हैक्टेयर जिसको विष्णुकान्त ने दिनांक 04.08.95 को वर्तमान दावे के प्रतिवादी नम्बर 2 नाथाराम से जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी उस भूमि को नागरमल ने अपनी पत्नी प्रतिवादी नम्बर 5 रूकमा देवी के नाम दिनांक 29.01.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर ली जिसको वादीगण अपने वाद पत्र की मद संख्या 4 में स्वीकार करते है और प्रतिवादी नम्बर 2 नाथाराम के साथ राजीनामा कर लिया। और पक्षकारों के मध्य विवाद नहीं रहा जिससे प्रतिवादी नम्बर 2 नाथाराम अपने हिस्से की भूमि को किसी भी व्यक्ति को विक्रय करने में सक्षम था जिस पर प्रतिवादी नम्बर 2 नाथाराम ने अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 540 की शेष भूमि रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि दिनांक 31.03.2005 को प्रतिवादी नम्बर 1 श्रीमती प्रेमलता को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी और मौके पर विधिवत रूप से कब्जा सौप दिया। वादीगण ने इसी भूमि के बाबत एक दूसरा दावा दिनांक 29.10.1999 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो कि उनवानी नागरमल बनाम नाथाराम वगैरह, मुकदमा नम्बर 239/99 है उपरोक्त वाद को वादी ने दिनांक 29.01.2004 को रूकमा देवी प्रतिवादी नम्बर 5 के पक्ष में विक्रय पत्र तस्दीक किये जाने के पश्चात दिनांक 11.02.2004 को दावा विड्रा कर लिया जिसमें वादीगण की पूर्णरूप से सहमति थी उपरोक्त दावा विड्रा करने के पश्चात वादीगण ने पुनः एक और अन्य वाद दिनांक 07.05.2004 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो उनवानी नागरमल बनाम नाथाराम मुकदमा नम्बर 35/2004 है लेकिन दौराने दावा ही वादीगण व प्रतिवादीगण नाथाराम में आपस में राजीनामा हो गया और वादीगण ने दावा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विड्रा कर लिया जो कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2004 से स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। वादी नम्बर 2 लगायत 4 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 द्वारा नामान्तकरण संख्या 390 दिनांक 13.11.1995 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय जिला कलेक्टेर झुन्झुनू के यहां प्रस्तुत की जो कि उनवानी सोनी देवी वगैरह बनाम नागरमल वगैरह मु.नं. 19/2000 है जिसको न्यायालय अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने दिनांक 20.09.2000 को खारिज कर दी, जिसकी अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 24.04.2001 को अदम हाजरी में खारिज हो गयी, जिसका रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी दिनांक 16.07.2002 को खारिज हो गया, जिससे वादीगण नम्बर 2 लगायत 4 को उपरोक्त भूमि के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा–पूरा अवसर मिला और उन्होंने अंत में प्रतिवादी नाथाराम के साथ राजीनामा कर लिया। वादीगण नम्बर 2 लगायत 4 ने वाद में निर्णय व डिक्री के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जिसमें वे स्वयं पाबन्द है इसलिए पुनः विभाजन का दावा चलने योग्य नहीं होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

इस संदर्भ में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2023 पटना पेज 177 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि **Civil P.C. (5 of 1998), O. 7 R.11(d) O.23 R.3A, S.11 – Rejection of plaint – Second suit for partition – Maintainability – Compromise decree was passed in earlier suit – Separate suit for challenging compromise decree is barred under O.23 R.3A-plaintiff had already moved application before Court concerned which passed said decree for setting aside compromise decree and thus, plaintiff had already availed proper remedy available in law – Remedy which is not directly available cannot be availed indirectly by clever drafting from plaint, it appeared that suit was based on pleading that**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

**previous decree in suit for partition was nullity and void and no right accured to any party form said decree – Filing of fresh suit which is substantially based on declaring compromise decree as null and void is abuse of process of law particularly when proper remedy had already been availed – Prayer for partition of suit property was basically challenging previous compromise decree – Hence suit was liable to rejected as not maintainable.**

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर